न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 195/2022 निर्णय दिनांकः– 24-4-26
(जीसीएमएस संख्या 2022/378)

1. ईसरराम पुत्र आसुराम जाति जाट निवासी मूण्डसर तहसील व जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 02–11–2022
उपखण्ड़ अधिकारी, पूगल

उपस्थितिः–
1. श्री नरेन्द्र गौड़, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड़ अधिकारी, पूगल के आदेश दिनांक 02–11–2022 जिसके द्वारा अपीलांट की आवंटन शुदा भूमि को सरप्लस घोषित किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम भानीपुरा के खसरा नम्बर 89 की 75 बीघा भूमि अपीलांट के नाम से वर्ष 1971 में पुख्ता आवंटित की गई थी जो आवंटन के दिन से लगातार अपीलांट के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही हे तथा मौके पर निरन्तर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस प्रकार इतने लम्बे

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

समय से लगातार उक्त भूमि पर काबिज काश्त होने व रिकार्ड में नाम दर्ज होने के कारण कानूनन अपीलांट को उक्त भूमि के समस्त अधिकार हासिल व निहित हो चुके है। उक्त भूमि एस.डी.ओ., नोर्थ बीकानेर द्वारा पुख्ता आवंटित की गई थी जो कि राजस्व विभाग के अन्तर्गत होने तथा राजस्व विभाग के नियमानुसार 10 वर्ष पश्चात उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार अपीलांट को प्राप्त हो चुके थे परन्तु बाद में उक्त क्षेत्र उपनिवेशन विभाग के क्षेत्राधिकार में आने के कारण उक्त भूमि को पुनः गैर खातेदार दर्ज कर दिया गया। तथा उपनिवेशन विभाग द्वारा उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार दिये जाने के लिए अपीलांट से उक्त भूमि की किश्ते जमा करवाई गई जो कि अपीलांट द्वारा चालान सं. 550 दिनांक 07.08.2007 के आधार पर दिनांक 09.08.2007 को राजकोष में 4050/ रूपये जमा करवा दिये। उक्त राशि अपीलांट की सम्पूर्ण 75 बीघा भूमि की जमा करवाई गई थी। तथा इसी आधर पर अपीलांट ने खातेदारी प्राप्त करने के लिए आवेदन किया तो अपीलांट के भूमि के रिकार्ड व मौके की रिपोर्ट तहसीलदार पूगल से मंगवाई गई। जो कि तहसीलदार पूगल द्वारा पत्र क्रमांक 4368 दिनांक 19.10.2022 को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष 75 बीघा भूमि के संबंध में प्राप्त हो चुकी थी। जिसके आधार पर अपीलांट के नाम से कानूनन उक्त 75 बीघा भूमि की खातेदारी प्रदान की जानी आवश्यक थी परन्तु इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी विधिक अधिकार के बिना कोई कारण अंकित किये कानून व नियमों के विपरीत जाकर उक्त 75 बीघा भूमि में से 25 बीघा भूमि को सरप्लस कर दिया। अपीलांट की उक्त भूमि सर्वप्रथम बारानी भूमि के रूप में आवंटित की गई थी जो आज दिनांक तक बारानी किस्म की ही भूमि है जैसा कि तहसीलदार रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित किया गया है साथ ही उक्त भूमि ना तो सिलिंग सीमा से अधिक थी तथा ना ही अन्य कोई विवाद इस भूमि के संबंध में था तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वंय 75 बीघा भूमि का ही चालान जारी कर सम्पूर्ण 75 बीघा भूमि के किश्ते अपीलांट से जमा करवाई गई थी तो फिर बिना किसी आधार के 25 बीघा भूमि को सरप्लस किये जाने का क्या औचित्य था इसका कोई कारण अपीलाधीन आदेश में अंकित नही किया तथा ना ही 25 बीघा भूमि की जमा राशि के संबंध में कोई आदेश पारित किया गया। संभवतया उक्त सरप्लस किये जाने के आदेश सहबन से भी जारी होने से इंकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि भूमि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 25 बीघा भूमि को सरप्लस किये जाने का कोई कारण या आधार बताया जाता तो अपीलांट उक्त

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

कारण के संबंध में आवश्यक सबूत पेश कर देता। एस.डी.ओ. पूगल के आदेश दिनांक 02.11.2022 की क्रियान्विति में तहसीलदार पूगल द्वारा अपीलांट के नाम से केवल मात्र 50 बीघा भूमि का ही खातेदारी नामान्तरण सं. 1478 दिनांक 20.11.2022 स्वीकृत किया गया है शेष 25 बीघा भूमि गैर खातेदारी के रूप में दर्ज है जिसे अराजीराज दर्ज करने की कार्यवाही रेस्पोडेन्ट कर रहा है ऐसी स्थिति में अपीलांट की 25 बीघा भूमि की खातेदारी प्रदान किये जाने का निर्देश अधिनस्थ न्यायालय को प्रदान किया जाना आवश्यक है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, पूगल का अपीलाधीन आदेश दिनांक 02–11–2022 में 25 बीघा भूमि सरप्लस किये जाने की हद तक निरस्त किया जाकर उक्त भूमि की खातेदारी प्रदान किय जाने के आदेश प्रदान करावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपील विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर होने के कारण खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व मियाद के बिन्दु को अभिनिर्धारित किया जाना उचित पाते है। जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपील मियाद अवधि की समाप्ति के पश्चात पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुनवाई

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order."** अतः प्रकरण का निस्तारण मियाद की बजाय गुणावगुणप पर किया जाना श्रेयस्कर है। अतः न्यायहित में विलम्ब कंडोन कर अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

प्रकरण में अपीलांट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट को आवंटित भूमि 75–00 बीघा की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी थी। अपीलांट द्वारा 75 बीघा भूमि की राशि भी जमा करवा दी थी। परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी आदेश के 25 बीघा भूमि को सरप्लस कर दिया।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अपीलाधीन आदेश दिनांक 02–11–2022 का अवलोकन किया गया जिससे यह तथ्य प्रकट होता है कि अपीलांट ईशरराम पुत्र आसुराम को ग्राम/चक भानीपुरा के खसरा नम्बर 89/13 की 75 बीघा बारानी भूमि का आवंटन किया गया।

अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार, पूगल से रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार, पूगल द्वारा अपने हस्ताक्षर से उक्त रिपोर्ट अपने पत्रांक 4368 दिनांक 19–10–2022 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की गई जिसमें यह अंकित किया गया कि अपीलांट के नाम ग्राम भानीपुरा के खसरा नम्बर 89/13 की 75–00 बीघा बारानी भूमि गैर खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

तहसीलदार, पूगल की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करते हुए अपीलांट को आवंटित 75–00 बीघा भूमि में से 50 बीघा बारानी भूमि को खातेदारी अधिकार प्रदान किये तथा 25 बीघा भूमि को सरप्लस घोषित किया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य अथवा आदेश उपलब्ध नही है जिससे यह तथ्य प्रकट होता हो कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किस आदेश के द्वारा अपीलांट की 25 बीघा भूमि को सरप्लस घोषित किया। अपीलांट को 75 बीघा भूमि आवंटित हुई थी। उसी भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सम्पूर्ण राशि जमा करवाई थी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में 75 बीघा भूमि मे से 50 बीघा भूमि ही खातेदारी दर्ज की गई।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशो व अद्यतन परिपत्रो के आलोक में अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 24-4-26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर